राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प 10(3)राज–6/2001/08 जयपुर, दिनांकः– 26/7/17

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

परिपत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/2011 जगपाल सिहं व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना के कम में इस विभाग द्वारा चरागाह भूमियों के आवंटन, नियमन, खनन एवं अन्य प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने आदि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों के अतिकमण में चरागाह भूमि/जोहड़ पायतन (catchment of a pond/water reserviors) और तालाबों (ponds) की भूमियों में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवटनों को अवैध माना जाने से इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.4.2011 से उपरोक्त भूमियों के आवंटन/नियमन को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई। उक्त परिपत्र दिनांक 25.04.2011 के कम में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधानानुसार विहित सीमा तक चरागाह भूमियों का आवंटन जिला कलक्टर द्वारा राजकीय विभागों को राजकीय प्रयोजन के लिए करने हेतु इस विभाग के परिपत्र दिनांक 17.04.2013 से निर्देशित किया गया। इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.04.2011 एवं दिनांक 17.04.2013 के कम में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधानानुसार विहित सीमा तक चरागाह भूमियों का आवंटन जिला कलक्टर आबादी विस्तार, श्मशान एवं कब्रिस्तान के प्रयोजन के लिए आवंटन किये जाने हेतु इस विभाग के परिपत्र दिनांक 26.06.2013 से निर्देशित किया गया। इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 एवं दिनांक 17.04.2013 के निरन्तरता में विधि विभाग से इस बिंदु पर मार्गदर्शन चाहा गया कि "क्या चरागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चरागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन की स्वीकृती दिया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल तो नही होगा?" उक्त बिंदु के संबध में विधि विभाग द्वारा चरागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चरागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन की स्वीकृति दिया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल माना है। अतः भविष्य में चरागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चरागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन स्वीकृती संबधी

26/7/17

आवंटन के प्रस्तावों पर विचार नही किये जाने बाबत् परिपत्र दिनांक 17.09.2013 जारी किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिहं के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 2011, 2012, 2013 में कतिपय आई.ए. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिसको मा0 सवोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2013 से निर्णित करते हुए यह आदेश पारित किये:–

In fact, the sentiments in the judgment by which the Civil Appeal was disposed of, are general in nature and it is the duty of the concerned State Government to enforce the law as relate to lands of this nature.

Accordingly, each particular Gram Sabha or Gram Panchyat are at liberty to proceed against unauthorized occupants of such lands and for that there is no further need for this Court to continue to monitor the matter. Accordingly, the matter as far as this Court is concerned, is closed. but it will not prevent individual, authorities or persons affected, from taking appropriate action in accordance with law, in the event such action proves to be necessary."

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. प्रार्थना पत्र में पारित उक्त निर्णय में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना के क्रम में सलाह हेतु प्रकरण महाधिवक्ता महोदय को प्रेषित किया गया। महाधिवक्ता महोदय ने राज्य सरकार को निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे प्रदत्त निर्देशों को स्पष्ट कराये जाने हेतु मा0 सवोच्च न्यायालय के समक्ष आई. ए. दायर करने की सलाह दी। उक्त सलाह के क्रम में इस विभाग द्वारा निर्णय दिनांक 28.01.2011 के modification clarification हेतु एक आई. ए. संख्या 35/2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर उक्त आई.ए. प्रार्थना पत्र के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवीरत अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.एस. शमशेरी ने आई.ए. प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 11.07.2016 के संबंध में यह राय दी कि:–

26/10/17

The Application was listed dated 11-07-2016 and during the arguments the Hon'ble Court made oral observation that the Hon'ble

Supreme Court has not directed to impose ban but has clarified in subsequent order that State may act according to their State land laws for allotment or setting apart the pasture land. Accordingly the AAG after arguing for some time in the interest of the State withdrew the Application as the Hon'ble Supreme Court has refused to modify their Order as there was no need to do so.

Considering the above mentioned circumstances and the Order dated 28-01-2011 and Order dated 18-04-2013 passed in the above captioned Appeal, he opined that:-

(i) From the perusal of the order dated 28.01.2011 and 18.04.2013 it is clear that the Hon'ble Supreme Court has not directed any State. not to act according to their land laws for allotment or setting apart of pasture land or put ban on mining lease on pasture land. The directions were limited to the eviction of illegal/ unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/ Poramboke/Shamlat land.

(ii) The State of Rajasthan is committed to evict the illegal occupants and to restore such lands back to Gram Sabha/Gram Panchayat and will continue to abide by the said directions passed by Hon'ble Supreme Court in this regard.

(iii) He further opined that, State of Rajasthan may further issue a Circular clarifying the legal position and withdraw the part of the Circular dated 25.04.2011 which has put ban on the granting of mining lease in pasture land.

(iv) In the Circular, the State also clarified that concern official can act according to State land laws specifically in terms of section 92 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955.

(v) It is also noted that a brief of above mentioned circumstances will be part of the said Circular.

अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.एस. शमशेरी द्वारा प्रदत्त उक्त राय पर महाधिवक्ता श्री एन. एम. लोढा से राय प्राप्त की गई। महाधिवक्ता महोदय द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री शमशेरी की राय से सहमति रखते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.04.2011 को संशोधित किया जाये।

उपर्युक्त की अनुपालना में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.04.2011 एवं इसके अनुसरण में जारी परिपत्र दिनांक 17.04.2013, 26.06.2013 एवं 17.09.2013 को अतिक्रमित किये जाने का दिनांक 17.05.2017 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक मे मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 88/2017 द्वारा निर्णय लिया गया है।

अतः मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 88/2017 में लिए गये निर्णय की अनुपालना के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/7 दिनांक 25.4.2011, परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.4.2013, परिपत्र क्रमाक एफ 10(3)राज–6/2001/5 दिनांक 26.6.2013 व परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज–6/2001/6 दिनांक 17.09.2013 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश दिये जाते है कि चरागाह भूमि का आवंटन या उसे अलग रखने के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधानानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 द्वारा सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि वह ग्रामसभा/ग्रामपंचायत/चेरम्बक/शामलात भूमि को ग्राम सभा/ग्रामपंचायत के शामलात उपयोग हेतु संरक्षित करे एवं अवैध कब्जेधारियों से मुक्त करे। इस हेतु अवैध अतिक्रमियों से मुक्त करने हेतु त्वरित कार्यवाही करे।

उपरोक्त आदेश के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि चरागाह आरण जांहड श्मशान कब्रिस्तान आदि शामलात भूमि पर हुए अतिक्रमणों से मुक्त कराने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 7.7.2017 को अतिक्रमित करते हुए यह परिपत्र जारी किया जाता है।

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

5. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
26/3/17